न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

वाद मुकदमा नम्बर :– 64/2022
तारीख दायर :– 28.03.2022

उनवान

सजना उम्र 48 वर्ष पुत्री पोखर राम जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील व जिला सीकर

––प्रार्थीया––

बनाम

1. सीताराम उम्र 46 वर्ष पुत्र पोखरराम
2. राजेन्द्र उम्र 33 वर्ष पुत्र सीताराम
3. जीवणी उम्र 44 वर्ष पुत्री पोखरराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कुडली तहसील व जिला सीकर

––अप्रार्थीगण––

उपस्थित :–

अधिवक्ता वादीगणः– श्री हरफूल सिंह खिचड
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री बनवारी लाल बरवड प्रतिवादी संख्या 1
श्री दिनेश कुमार मंडीवाल प्रतिवादी संख्या 2
श्री नरेश कुमार प्रतिवादी संख्या 3

आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.07.2024

वकील प्रार्थीया द्वारा एक वाद दावा बंटवारा का पेश किया जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 563/2 रकबा 0.11 हैक्ट, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.04 हैक्ट, खसरा नम्बर 1112/566 रकबा 0.04 हैक्ट, खसरा नम्बर 1113/566 रकबा 0.91 हैक्ट कुल किता 04 कुल रकबा 1.10 हैक्ट वाके ग्राम बालाजी भैरूजी नगर पटवार हल्का कुडली तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष भूमि जमाबंदी में अंकित राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

विवादित भूमि पर प्रार्थीया अपने 1/6 हक व हिस्से की भूमि के अनुसार मौके पर अलग सींव–नीवं कायम कर रखी है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त चली आ रही है। विवादित भूमि का आज दिनांक तक विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने, स्पेशिक हिस्से को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने तथा अन्तरण करने की धमकी दे रहे है। प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने तथा दीगर व्यक्तियों को विक्रय, अन्तरण करने की धमकी देने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष दावा प्रस्तुत करना लाजमी हो गया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे विवादित भूमि को बिना बंटवारा करवाये दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने तथा अन्तरण करने से बाज रहें।

प्रार्थीया द्वारा पूर्व में वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश किया गया था परन्तु पक्षकारान में राजीनामा हो जाने के कारण वादपत्र में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन को दिनांक 02.08.2021 को विड्रो किया जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को खाजिर कर दिया गया था परन्तु वादपत्र के समस्त खातेदारों की सहमति नहीं होने कारण प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की जा सकी जिसका अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने मौके पर बिना विधिवत बंटवारा करवाये की स्पेशिफिक भू–भाग पर निर्माण करने व स्पेशिफिक भू–भाग को विक्रय करने के लिए भू–माफियाओं को दिखाना प्रारम्भ कर दिया। अगर अप्रार्थीगण अपने इस उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीया को असीम व अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर विवादित भूमि पर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमाया जावें।

आवेदन प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर हुये।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीया केवल 1/6 भाग की खातेदार है, प्रार्थीया का काश्तकार व काबिज होने का कथन मिथ्या है। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीया द्वारा दावा पेश करते समय आवेदन बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था जिसे प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि को बेचान करने की नियम से दिनांक 02.08.2021 को विड्रो कर लिया गया परन्तु प्रार्थीया द्वारा पुनः अप्रार्थीगण को हैरान करने के लिए तथा वेग अभिकथन कर टी.आई. आवेदन विड्रो करने पर पुनः टी.आई. लेने का कही कोई हक, अधिकार हासिल नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के आवेदन बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही आवेदन में बहस करने बाबत् निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस मुताबिक आवेदन तथा जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन की मद संख्या 6 में प्रार्थीया द्वारा अंकित किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में मूल वाद के साथ आवेदन बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसे प्रार्थीया द्वारा विड्रो कर लिया गया। अपने लाभ के लिए आवेदन प्रस्तुत करना तथा आवेदन को विड्रो करना तथा आवेदन पुनः पेश करना न्याय के हितों के खिलाफ है तथा मूल वाद में अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से प्राथमिक डिक्री आदेश जारी कर दिये गये है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर